16/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 FEB 2015

CM 728388

ॐ गणेशाय् नमः

ॐ साँई नाथाय् नमः

ट्रस्ट कापी

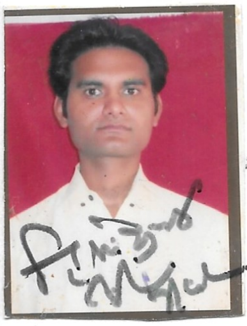

मैं श्रीमती राजश्री वर्मा पत्नी स्व0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी–भवन संख्या 117 निकट अनुपम होटल पुरबिया टोला शहर इटावा की हूँ कि जो आज दिनांक ८.४.१५ को यह न्यास विलेख निष्पादित करती हूँ क्योंकि इस बात की इच्छुक हूँ कि स्थापित न्यास ट्रस्ट द्वारा नियुक्त न्यासियों की अनुमति और माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा सके और शिक्षा हेतु प्राईमरी विद्यालय से उच्चतम महाविद्यालय की स्थापना के साथ–साथ जनहित में चिकित्सालय आदि स्थापित किये जा सकें।

९२
५०६७

अतः मैं न्यासकर्ता इस न्यास विलेख में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति और पूर्ण प्रयोजनार्थ न्यास बनाने के उद्देश्य से 11,000/–रुपये की धनराशि न्यास के केन्द्रक (न्यूक्लियस) के रूप

राजश्री वर्मा Sweety Verma

20
31/03/15

1000

श्री परविन्दर सिंह एवं [illegible] कुमार सिंह
117, सिविल [illegible] होटल [illegible]
बरेली

पवन कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 114
ला० अवधि 2012 से 2017 तक
सदर तहसील प्रांगण बरेली

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 MAR 2015

26 FEB 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 728389

में पृथक रूप से जमा की है और न्यास के स्थापित करने हेतु मुझ न्यासकर्ता ने अपने अतिरिक्त निम्नलिखित न्यासी उनकी अनुमति से नियुक्त किया है:–

1. श्री परिधि पुत्र स्व0 धीरेन्द्र कुमार
2. श्रीमती स्वीटी वर्मा पत्नी श्री परिधि
   निवासीगण–भवन संख्या 117 निकट अनुपम होटल पुरबिया टोला, शहर इटावा।
3. श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री बी0बी0एल0 अग्रवाल निवासी–110 ई0एफ0 सिविल लाइन्स, इटावा जी0जी0आई0सी0 के सामने, इटावा।
4. श्री हिमांशु चन्द्र पुत्र श्री सरस चन्द्र निवासी–मकान नम्बर 240 पुरबिया टोला नाला पार, इटावा।

न्यास के निम्नलिखित उद्‌देश्य होंगे:–

क– न्यास ट्रस्ट की संरक्षकता में शिक्षण संस्थायें स्थापित करना, तकनीकी शिक्षा हेतु निर्बल व प्रतिभावान छात्रों को प्रेरित करना, उनकी सहायता करना, चिकित्सालय स्थापित करना, एवार्ड देना, छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना तथा कृषकों को और कृषि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा हर प्रकार से शिक्षा में प्रोत्साहन देना।

ख– शैक्षिक संस्थायें स्थापित करके सी0बी0एस0ई0 बोर्ड और हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट बोर्ड, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना और मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज व

राजश्री वर्मा

Sweety Verma

Agrawal

21 / 31032015

100 - Du ___ 2015

[illegible] कुमार [illegible] [illegible]
[illegible] नं० 114
[illegible] अवधि 2012 से 2017 तक
सदर तहसील [illegible] [illegible]

③

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 MAR 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26 FEB 2015 CM 728390

चिकित्सालय स्थापित करते हुये उन्हीं से सम्बन्धित छात्र छात्राओं के निवास के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण आदि करवाना और निःशुल्क हर प्रकार का चिकित्सीय और शैक्षिक सहयोग व सहायता प्रदान करना।

ग— विद्यार्थियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु जो समस्त शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सालय आदि स्थापित किये जायेंगे उनमें इस प्रकार की सहायता और सहयोग का सम्पादन एव प्रोत्साहन बिना धर्म, जाति, वंश, समाज, रंग, वर्ग विशेष लिंग के अन्तर्गत मतभेद भाव से करना।

द— बेसहारा महिलाओं पुरुषों तथा वरिष्ठ वयावृद्ध नागरिकों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो तथा पर्यावरण प्रदूषण रहित शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था करना और बालक बालिकाओं का सामाजिक मानसिक चरित्रिक व शैक्षिक विकास करना तथा उसमें व्याप्त कुपोषण को दूर करते हुये स्वालम्ब हेतु कार्य करना।

1. इस न्यास ट्रस्ट का नाम धीरेन्द्र कुमार मेमोरियल ट्रस्ट होगा कि जिसको इस विलेख में आगे न्यास के नाम से सम्बोधित किया जायेगा और इसका रजिस्टर्ड आफिस भवन संख्या 117 निकट अनुपम होटल पुरबिया टोला इटावा रहेगा।

2. न्यासीगण द्वारा यदि आवश्यकता समझी जाती है तो अन्य स्थान पर भी कार्यालय स्थापित किया जा सकता है।

राजश्री वर्मा Sweety Verma

22
3103/14

[illegible] — [illegible]

[illegible] कुमार [illegible] [illegible]
[illegible] सं० 114
[illegible] अवधि 2012 से 2017 तक
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 728391

26 FEB 2015

3 MAR 2015

3. न्यासकर्ता ने 11,000/—रुपये की धनराशि न्यास ट्रस्ट को केन्द्रक (न्यूक्लियस) के रूप में दी है जो धनराशि न्यास की सम्पत्ति हो गयी और रहेगी और न्यास ही इस धनराशि की और भविष्य में अर्जित धनराशि की आधिपत्यधारी स्वामी होगी तथा मुझ न्यासकर्ता और किसी भी न्यासी का इसमें किसी प्रकार का न कोई व्यक्तिगत हित रहा और न होगा।

4. न्यास को पूरा अधिकार रहा और है कि दानदाताओं द्वारा जो भी धनराशि अथवा चल अचल सम्पत्ति दान करते हैं उसको न्यास के प्रयोजनार्थ धारण करेंगे और वह समस्त सम्पत्ति न्यास की ही होगी किसी भी न्यासी या व्यक्ति को उसके स्वामित्व व व्यक्तिगत प्रयोग से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

5. न्यास के हित में और उसके प्रयोजनार्थ दानदाता जो भी सम्पत्ति दान में देगा उस दानदाता को किसी प्रकार का कोई अधिकार न्यास में उत्पन्न न होगा और यदि न्यासीकरण निर्णय करते हैं तो ऐसा दानदाता का अन्य सहयोग प्राप्त कर सकेंगें परन्तु उनको न्यास की कार्यशैली और कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त न होगा।

6. केन्द्रक (न्यूक्लियस) धनराशि कभी भी अन्तरित नहीं की जा सकेगी और जो भी अचल सम्पत्ति न्यास ग्रहण और धारण करेगा उसको न्यास के कार्य हेतु ही यदि आवश्यकता होती है तो न्यासियों की सर्व सम्मति और बहुमत से ही अन्तरित की जा सकेगी परन्तु

राजश्री वर्मा   Sweety Verma   T. Agrawal   Chandra

23/3108/15

1002 रि० — 2017

[illegible] कुमार [illegible]
ना० नं० 114
[illegible] अवधि 2012 से 2017 तक
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 FEB 2015

CM 728392

शर्त यह है कि अन्तरण से प्राप्त धनराशि से न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य सम्पत्ति क्रय की जा सकेगी अथवा किसी प्रभावी जनहित कार्य में उसको प्रयोग में लाया जा सकेगा।

7. न्यास ट्रस्ट सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट न होगा और सार्वजनिक जनता या किसी को भी न्यास के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा केवल न्यासीगण या उनके उत्तराधिकारी को ही पूर्ण अधिकार न्यास का कार्य करने, कार्यशैली, न्यास के उद्देश्य की पूर्ति का निर्णय करने के समस्त अधिकार प्राप्त होगा किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें आपत्ति करने, हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त न होगा।

8. न्यास ट्रस्ट द्वारा जो भी जनहित में कार्य किया जायेगा वह बगैर किसी धर्म जाति समाज, वंश वर्ग रंग लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुये ही कार्य किया जायेगा और सभी वर्ग के पात्रों को सहायता सहयोग और प्रोत्साहित किया जायेगा।

9. न्यास ट्रस्ट चेरिटेबिल ट्रस्ट ही रहेगा किसी प्रकार से धन अर्जित करने हेतु व्यक्तिगत लाभ का माध्यम न होगा और न किसी राजनैतिक दल धार्मिक संस्था आदि से सम्बद्ध रहेगा बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र जनहित के प्रयोग हेतु संस्था रहेगी।

राजश्री वर्मा

SweetaVerma D.Agrawal

24/3051/15 — 1888 दि० —— २०१५

कुमार नोटरी
पं० नं० 114
नि० अवधि 2012 से 2017 तक
[illegible] तहसील [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-3 MAR 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 FEB 2015

CM 728393

10. न्यास संस्था दान स्वरूप व्यक्तियों से राजकीय सहायता अन्य संस्थानों तथा किसी भी तरह से प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगी परन्तु वह समस्त धनराशि अर्जित दान सम्पत्ति न्यास के उद्देश्य के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी।

11. न्यासी मण्डल के निम्नलिखित आजीवन पदाधिकारी एवं न्यासीगण होंगेः–

1.

क–	श्रीमती राजश्री वर्मा, न्यासकर्ता	अध्यक्ष
ख–	श्रीमती स्वीटी वर्मा	उपाध्यक्ष
ग–	श्री परिधि	महासचिव
घ–	श्रीमती मीरा अग्रवाल	न्यासी / सदस्य
ड.–	श्री हिमांशु चन्द्र	न्यासी / सदस्य

2. यदि कोई भी न्यासी या पदाधिकारी असमर्थता के कारण त्याग पत्र देता है तो उसके स्थानापन्न पर शेष पदाधिकारी और न्यासी किसी भी अन्य सदस्य को निर्वाचित कर सकेंगे कि जिसमें किसी परिवार जाति धर्म लिंग वंश वर्ग विशेष का कोई विचार न किया जा सकेगा।

राजश्री वर्मा Sweety Verma Agrawal

25
31/03/15

100 — 2000

[illegible]
ना० सं० 114
का० अवधि 2012 से 2017 तक
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 MAR 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 FEB 2015

CM 728394

3. किसी पदाधिकारी न्यासी सदस्य की विधि विरुद्व या अशोभनीय असामाजिक अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं तो न्यासी मण्डल को उस न्यासी को पद और न्यासी सदस्यता से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा कि जिसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

4. किसी न्यासी या पदाधिकारी का पद रिक्त हुआ हो या नहीं हुआ है और उसका निष्कासन उचित है या अनुचित है इस पर शेष न्यासी मण्डल का निर्णय ही अन्तिम होगा।

5. यदि न्यासी मण्डल द्वारा किसी निर्णय में समान मत रहते हैं तो न्यासी अध्यक्ष को अन्तिम मत और निर्णय देने का अधिकार होगा कि जो मान्य होगा और उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

6. आजीवन न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने उत्तराधिकारी को चयनित करें, उसकी घोषणा करें और आकस्मिक रिक्त पर न्यासी मण्डल को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

राजश्रीवर्मा Sweety Verma

28
31/03/15

[illegible] कुमार [illegible] विक्रेता
ला० सं० 114
[illegible] 2012 से 2017 तक
[illegible]

यास पत्र

11,000.00	110.00	50	160.00	2,200
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती राजश्री वर्मा
पत्नी श्री स्व0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी 117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/4/2015 समय 11:53AM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0के0सक्सेना प्र0उ0नि0
उपनिबन्धक
इटावा
8/4/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्रीमती राजश्री वर्मा
पत्नी श्री स्व0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा
पेशा गृहिणी
निवासी 117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा

श्री परिधि
पुत्र श्री स्व0 धीरेन्द्र कुमार
पेशा व्यापार
निवासी 117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा

श्रीमती स्वीटी वर्मा
पत्नी श्री परिधि
पेशा गृहिणी
निवासी 117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा

श्रीमती मीरा अग्रवाल
पत्नी श्री बी0बी0एल0 अग्रवाल
पेशा गृहिणी
निवासी 110, ई0एफ0 सिविल लाइन्स जी0जी0आई0सी0के0 सामने शहर इटावा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 MAR 2015

26 FEB 2015

CM 728379

12. **न्यास ट्रस्ट सभी शक्तियाँ और हित न्यासी मण्डल में निहित होगी।**

1. न्यास ट्रस्ट का फण्ड किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर उसमें जमा किया जायेगा और उसका संचालन अध्यक्ष व महासचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

2. न्यास के लिये किसी प्रकार का कोई ऋण किसी न्यासी को लेने का अधिकार न होगा और दान में चल और अचल सम्पत्ति न्यास ट्रस्ट के नाम पर ही प्राप्त की जा सकेगी किसी न्यासी या पदाधिकारी के नाम पर प्राप्त न की जावेगी।

3. न्यास या न्यासी के विरुद्व किसी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही की जाती है तो उसका अधिकार क्षेत्र इटावा न्यायालय होगा और अध्यक्ष/महासचिव के माध्यम से अथवा न्यास मण्डल यदि किसी अन्य को अधिकृत करें उसी को पूर्ण अधिकार होगा।

4. न्यास का जो खाता रखा जायेगा तथा समस्त प्रलेखों का रख रखाव महासचिव करेगा और हिसाब किताब का परीक्षण ओडीटर द्वारा प्रति वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के मध्य हुआ करेगा।

राजश्रीवर्मा Sweety Verma

27
31/03/15

1002 रु ——— 2002

[illegible] कुमार [illegible] [illegible],
ला० नं० 114
[illegible] अवधि 2012 से 2017 तक
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

श्री हिमांशु चन्द्र
पुत्र श्री सरस चन्द्र
पेशा नौकरी
निवासी 240- पुरबिया टोला नालापार शहर व
जिला इटावा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री हरीओम
पुत्र श्री विशुन दयाल
पेशा व्यापार
निवासी डूंगरी पर0 व जिला इटावा
व श्री प्रदीप कुमार
पुत्र श्री गणेश बाबू
पेशा व्यापार
निवासी तुलसीनगर शहर व जिला इटावा
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
वोटरकार्ड आइडी के रूप में प्रस्तुत किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0के0सक्सैना प्र0उ0नि0
उपनिबन्धक
इटावा
8/4/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2015

CF 557968

5. यदि आवश्यकता होती है तो न्यास के हित में आयकर छूट के सम्बन्ध में आयकर विभाग में कार्यवाही हेतु पंजीकरण कराया जायेगा।

6. कोई भी न्यासी किसी प्रकार से भी वेतन आदि प्राप्त करने का अधिकारी न होगा और यदि न्यास के उद्देश्य के कार्य हेतु किसी धन की आवश्यकता होती है तो न्यासी उसके सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करेगा।

7. न्यासी मण्डल की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि यदि किसी बैठक में वह आने में असमर्थ रहते हैं तो अपने स्थान पर किसी भी अन्य न्यासी को अधिकृत करके अध्यक्षता के लिये अनुमति प्रदन कर दें परन्तु शर्त यह है कि बैठक का कोरम कम से कम तीन न्यासियों का होना चाहिये।

8. यदि अपरिहार्य कारणवश न्यास के हित में किसी भी समय तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और न्यासीगण उपस्थित आने में असमर्थ हो सूचना प्राप्त न कर सकें तो अध्यक्ष न्यास की शक्ति को स्वयं प्रयोग में लाकर कार्य पूर्ण करेगा परन्तु ऐसा कार्य और शक्ति का प्रयोग न्यासी मण्डल की अगली बैठक के निर्णय के अधीन होगा और यदि उस बैठक में न्यासी मण्डल इस प्रकार के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि नहीं करते हैं तो वह निष्प्रभावी होगा।

राजश्री वर्मा Sweety Verma D Agrawal

28
31/03/15

100 = 920 —— 2009

न्यासी

Registration No.: 16 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 राजश्री वर्मा

स्व0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा
117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा
गृहिणी

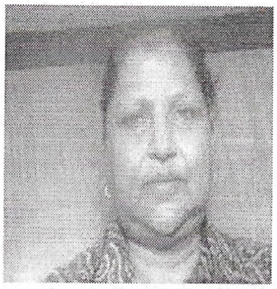

0102 परिधि

स्व0 धीरेन्द्र कुमार
117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा
व्यापार

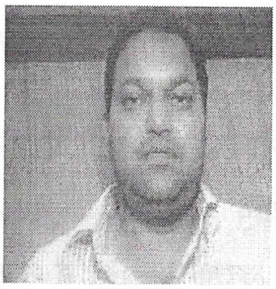

0103 स्वीटी वर्मा

परिधि
117- निकट अनुपम होटल पुरविया टोला शहर व जिला इटावा
गृहिणी

0104 मीरा अग्रवाल

बी0बी0एल0 अग्रवाल
110, ई0एफ0 सिविल लाइन्स जी0जी0आई0सी0के0 सामने शहर
गृहिणी

0105 हिमांशु चन्द्र

सरस चन्द्र
240- पुरबिया टोला नालापार शहर व जिला इटावा
नौकरी

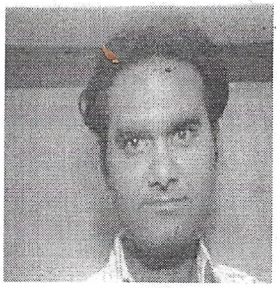

18 FEB 2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-9 FEB 2015

CF 555690

9. न्यासी मण्डल के समस्त निर्णय बैठक आदि की कार्यवाही महासचिव द्वारा लेखबद्ध होगी तथा अध्यक्ष और महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और महासचिव द्वारा प्रमाणित ऐसे प्रलेखों की सत्य प्रतिलिपि मान्य होगी तथा महासचिव को न्यास की ओर से सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने और प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

10. उपरोक्त वर्णित पाँच न्यासियों के अतिरिक्त न्यास में अधिक से अधिक 11 न्यासी हो सकेंगे परन्तु आजीवन न्यासियों के अन्तर्गत जो अन्य न्यासी सम्मिलित किये जायेंगे उनका या किसी भी अन्य न्यासी का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा और 3 वर्ष पूर्ण होने पर उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य न्यासी नियुक्त और निर्वाचित करने का पूर्ण अधिकार शेष न्यासी मण्डल को होगा परन्तु यदि उनके स्थान पर अन्य न्यासी निर्वाचित और

राजश्री वर्मा

Sweetyverma

29
31/03/15

100 + १०० — 200

पंकज कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 114
ला० अवधि 2012 से 2017 तक
सदर तहसील [illegible] [illegible]

Registration No. : Year : Book No. :

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22 JAN 2015

CF 550623

नामित नहीं किये जाते हैं तो आजीवन न्यासियों का ही न्यास मण्डल वैध और कार्यरत रहेगा।

11. न्यासी मण्डल न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संशोधन करते हुये कार्य को सुलभ बनाने हेतु नियम विनियम बना सकेगा जो संशोधन व नियम विनियम कर सकेगा जो मूल रूप से इस न्यास विलेख से असंगत न हो।

12. न्यास विलेख अपवर्तनीय तथा अखण्डनीय होगा व न्यास सम्पत्ति और केन्द्रक (न्यूकालियस) वापिस नहीं किया जा सकता।

अतः यह विलेख खूब सोच समझकर स्वतंत्र रूप से शुद्ध शारीरिक व मानसिक स्थिति में बिना किसी दबाव के निष्प्रयोजन के अभाव में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

राजश्रीवर्मा Sweety Verma

तहरीर तारीख ८ अप्रैल २०१५ई

मु. हरीओम पुत्र श्री विष्णुदयाल

निवासी 1313 [illegible]

हरिओम

दस्तावेज लेखक का नाम [illegible]

नवीकरण तारीख 31.3.2016

लाईसेन्स नं 8

ली गई फीस 100

हस्ताक्षर

30
31/03/15

[illegible] — 200

114
2012 से 2017

आज दिनांक **08/04/2015** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **53**

पृष्ठ सं. **137** से **158** पर कमांक **16**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0के0सक्सैना प्र0उ0नि0
उपनिबन्धक
इटावा
8/4/2015